न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : देवयानी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 213/2019
CCMS NO. : 2019/00252

–:: वादी :–
1. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल जाति– सरगरा, निवासी– ग्राम आसरलाई, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.)।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–
1. भंवरीदेवी पत्नी अमराराम जाति– भांबी, निवासी–'चामुण्डा माता जी के मन्दिर के पास ग्राम बिलाड़ा, तहसील– बिलाड़ा, जिला– जोधपुर (राज0)
2. तहसीलदार, जैतारण, जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.05.11.2019

उपस्थित:–
1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुनिल प्रजापति, श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 20/10/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आसरलाई, पटवार हल्का आसरलाई में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1040 रकबा 27–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी अपने 2/3 हिस्से पर एवं शेष हिस्से पर यानि 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी माफिक अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमावन्दी वादपत्र के साथ पेश है, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती है, जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड वाऊण्डस् के बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकार अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है। परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा वादपत्र में वर्णित नजरी नक्शे में वादी का लाल रंग से वर्णित भाग वादी का है। जो लाल रंग से दर्शाया गया है। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का है। इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नजरी नक्शा वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे शामलाती होने एवं कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नही होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादी अपनी आराजी में खाद बीज व ऋण लेने तथा कुआ खुदवाने मे अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक प्रतिवादीगण या अन्य किन्ही अजनबी व्यक्तियों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में गैर कानूनी कृत्य करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्स् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नही होने से प्रतिवादी आये दिन वादी की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी करते है एवं बिना बंटवाड़ा कराये ही उक्त आराजी मैं गैर कानूनी कृत्य करने को आमादा है। यदि प्रतिवादी वादी के हक हिस्से की आराजी से वादी को बेदखल कर देते है, तो वादी को अपूणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभवनहीं है। यदि वादी की आराजी बिना बंटवाड़ा कराये गैर कानूनी कृत्य होता तो वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित होगा। इसलिए वादी का यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का जब तक कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक प्रतिवादी उक्त आराजी में किसी प्रकार से मौके की स्थिति को रद्दो बदल करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब होते है या रास्ता अवरूद्ध कर देते तो मौके पर लड़ाई झगडे होगें, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढ़ेगी एवं अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। जिससे वादी अपने जायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 09.10.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा करने का कहा तो प्रतिवादी इन्कार हो गये एवं वादी को धमकी दी कि वो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेगे तथा इसमें मिट्टी, पत्थर व मलबा डालकर इसको अनुपजाउ बना देगे। यदि प्रतिवादी अपने उक्त गैर कानूनी कृत्यों में सफल होते है तो वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा एवं अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्याकंन रूपयो मे भी नही आंका जा सकेगा। प्रतिवादी अजनबी व्यक्तियो के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन वादी की आराजी मे दखल व दस्तन्दाजी कर रहे है एवं उन्हे बेदखल करने की पुरी कोशिश कर रहे है। यदि प्रतिवादी अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो वादी अपने नीजायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेषं नही रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार, भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़े के वाद मे आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 05.10.2019 को प्रतिवादी द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने व मौके पर रास्ता बनाने व मिट्टी पत्थर व मलबा डालकर वादी को नुक्सान पहूँचाने आदि के गैर कानूनी कृत्य करने की एलानिया धमकी देने व आराजी का कानूनन बंटवाड़ा करवाने पर एंव वादी को मौके से बेदखल कर जबरदस्ती कब्जा कर लेने की धमकी देने पर बमुकाम आसरलाई तहसील– जैतारण मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया ाया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर वकालतनामा पेश हुआ। वकील प्रतिवादीगण ो जवाब दावा पेश करनें के अनेकानेक अवसर व अन्तिम अवसर देने के बावजूद नवाब दावा पेश नहीं करनें से जवाब बन्द किया गया। वकुलाय उभयपक्ष बहस हेतु ायार होने से बहस सुनी गई। वकुलाय उभयपक्ष ने जाहिर किया कि मुताबिक राजस्व कर्ड बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के विभाजन हेतु वाद प्रा. डिक्री किया जाता है तो मं कोई आपत्ति नहीं है, माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री किया जाकर क्षकारान में बंटवाड़ा करने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर नन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम आसरलाई सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार ाश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1040 रकबा 27–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल में ादी प्रतिवादी संख्या 01 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की ाथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड ाथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि रहद मौजा ग्राम आसरलाई, पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण, में स्थित ासरा नम्बर 1040 रकबा 27–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, भूमि जो राजस्व कर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मेट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर ात्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं टवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/378 दिनांक 15.04.2022 द्वारा आदेशित किया ाया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5663 दिनांक 07/09/2022 ारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी क्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने ाफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये ाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं ालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपो[illegible] नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जा[illegible] ग्राम आसरलाई, पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण, मे [illegible] संख्या 01 की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1040 रकबा 27–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	बंशीलाल पुत्र मोहनलाल जाति सरगरा साकिन देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा निमाज	1040/1	2.9838	बा. अ.	1.85
2.	भंवरी देवी पत्नी अमराराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार	1040	1.4920	बा. अ.	0.92

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी -जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक **20/10/2022** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी -जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

बईजलास :– देवयानी, आर0ए0एस0

–:: वादी :–

1. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल
जाति– सरगरा, निवासी– ग्राम
आसरलाई, तहसील जैतारण,
जिला–पाली (राज.)।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. भंवरीदेवी पत्नी अमराराम
जाति– भांबी, निवासी– चामुण्डा माता
जी के मन्दिर के पास ग्राम बिलाड़ा,
तहसील– बिलाड़ा, जिला– जोधपुर
(राज0)

2. तहसीलदार, जैतारण, जिला–पाली
राज.।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 213/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–....... व हाजरी श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सुनिल प्रजापति, श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, प्रतिवादी, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि ग्राम आसरलाई, पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण, में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1040 रकबा 27–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	बंशीलाल पुत्र मोहनलाल जाति सरगरा साकिन देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा निमाज	1040/1	2.9838	बा. अ.	1.85
2.	भंवरी देवी पत्नी अमराराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार	1040	1.4920	बा. अ.	0.92

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/10/2022 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:12 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	05	00	मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:12 IST
Reason: SelfAttested